(2)

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग।

विविध वाद संख्या–05/2022–23

ईश्वर साव एवं अन्य बनाम राज्य

–:आदेश:–

यह वाद आवेदक ईश्वर साव पिता स्व0 बंधु साव, रामवृक्ष प्रसाद साहु पिता प्रमेश्वर साहु एवं महेन्द्र साहु पिता ईश्वर साहु सभी ग्राम– कोदे थाना– रामपूर जिला– चतरा द्वारा मौजा– हुरहुरू थाना नं0– 147 अंतर्गत खाता नं0– 97 प्लॉट नं0– 217 रकवा– 0.47 एकड़ मधे रकवा–0.05 एकड़ भूमि का प्लॉट में सुधार करने हेतु विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दायर आवेदन के आधार पर प्रारंभ करते हुए इस कार्यालय का पत्रांक 19/भू0सु0 दिनांक 11.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। फलस्वरुप सुनवाई की गई। आवेदक द्वारा बताया गया कि आवेदित भूमि का निबंधित केवाला संख्या 7357 दिनांक 18.07.2013 द्वारा विक्रेता नन्दकिशोर शर्मा पिता कुलदीप शर्मा, निवास स्थान– हुरूहुरू से क्रय कर शांतिपूर्वक दखलकार रहते हुए अंचल अधिकारी, सदर को दाखिल खारिज निष्पादन हेतु आवेदन समर्पित किया गया। परंतु उनके द्वारा प्लॉट संख्या 217 के स्थान पर प्लॉट संख्या 141 अंकित कर दिया गया है, जिसे सुधार करने की आवश्यकता है। उक्त के संबंध में अंचल अधिकारी सदर का पत्रांक 1446 दिनांक 12.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि मौजा– हुरूहुरू थाना नं0–147 अन्तर्गत खाता नं0– 97 प्लॉट नं0– 217 रकवा– 47डी0 भूमि खतियान में लालमन पाण्डेय के नाम से दर्ज है। जो रैयती खाता की भूमि है। क्रेता 1– ईश्वर साव पिता– बांधो साव, 2– रामवृक्ष प्रसाद साहु पिता– प्रमेश्वर साहु, 3– महेन्द्र साहु पिता– ईश्वर साहु खाता नं0– 97 प्लॉट नं0– 217 रकबा– 47डी0 मधे रकबा– 05डी0 निबंधित केवाला संख्या– 7357 दिनांक– 18.07.2013 के द्वारा खरीदगी से हासिल है। तथा मैनुयल एवं ऑनलाईन पंजी– II के पृष्ठ संख्या– 124/XIX पर जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद 2014–15 तक निर्गत है। स्थल जाँच के क्रम में पाया कि प्रश्नगत् भू–खण्ड पूरब एवं पश्चिम तरफ बाउण्ड्री किया हुआ है एवं बगल के रैयतों के द्वारा बताया कि आवेदक का दखल है। मैनुयल पंजी– II एवं शुद्धि पत्र के आवलोकन में पाया कि प्लॉट नं0–

Scanned with CamScanner

141 अंकित है, जो लिपिकीय भूल प्रतीत होता है। जबकि केवाला दस्तावेज में प्लॉट नं0- 217 है।

अतः आवेदक के द्वारा प्लॉट नं0- 141 के स्थान पर प्लॉट नं0- 217 सुधार करने हेतु अनुरोध के आलोक में सुधार संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या 217 के स्थान पर प्लॉट संख्या 141 कर दिया गया है, जिसे सुधार करने की आवश्यकता है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर को आदेश दिया जाता है, कि आवेदक द्वारा समर्पित सभी कागजातों का सम्यक जाँचोपरांत प्लॉट में सुधार करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 11/05/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।

Sd/- 11/05/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।

Digitally signed by RAJKISORE PRASAD
Date: 2024.04.23 12:42:14 +05:30
Location: 192.168.1.52

Scanned with CamScanner